न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 108/2019

भारतीय स्टेट बैंक
शाखा– रासमेक, मुख्य शाखा, अजमेर
जिला अजमेर(राज.) .....प्रार्थी

बनाम

(1) श्री राम किशोर खण्डेलवाल पुत्र श्री चतुर्भुज खण्डेलवाल
निवासी– 558/21, माली मोहल्ला, नवाब का बेडा,
जिला अजमेर (राज.)

.....अप्रार्थीगण (ऋणी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– शंकर लाल गुर्जर अभिभाषक प्रार्थी

आदेश **दिनांक 27.08.2019**

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी श्री राम किशोर खण्डेलवाल पुत्र श्री चतुर्भुज खण्डेलवाल निवासी–558/21, माली मोहल्ला, नवाब का बेडा, जिला अजमेर (राज.) को दिनांक 31.12.2012 को 3,00,000/–अक्षर (तीन लाख रूपये मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थी/ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर ए. एम. सी संख्या 277/14=558/21=7/639 माली मोहल्ला, नवाब का बेडा अजमेर जिला अजमेर(राज.) स्थित आवासीय भूमि व निर्मित भवन जो श्री राम किशोर खण्डेलवाल पुत्र श्री चतुर्भुज खण्डेलवाल के नाम से है, जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकार्ड के अनुसार 442.00 वर्ग फिट है जिसकी पूर्व में–सम्पत्ति संख्या 21/557, पश्चिम में–सम्पत्ति संख्या 21/559, उत्तर में –9 फिट चौडी गली, दक्षिण में –निजी मकान, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थी नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 28.06.2017 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 18.12.2017 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये–3,53,434.52/– (अक्षर रूपये तीन लाख तिरेपन हजार चार सौ चौतीस एवं बावन पैसे मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थी द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पति ए. एम. सी संख्या 277/14=558/21=7/639 माली मोहल्ला, नवाब का बेडा अजमेर जिला अजमेर(राज.) स्थित आवासीय भूमि व निर्मित भवन जो श्री राम किशोर खण्डेलवाल पुत्र श्री चतुर्भुज खण्डेलवाल के नाम से है, जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकोर्ड के अनुसार 442.00 वर्ग फिट है जिसकी सीमाएं पूर्व में–सम्पत्ति संख्या 21/557, पश्चिम में–सम्पत्ति संख्या 21/559, उत्तर में –9 फिट चौडी गली, दक्षिण में –निजी मकान, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 27.08.2019 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner